अध्याय 5
सेवा-कर

1994 के अधिनियम 32 का उपांतरण।

141. (1) 16 जुलाई, 2001 से ही आरंभ होने वाली और ऐसी तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार, धारा 142 के अधीन उस तारीख के रूप में नियत करे, समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उस धारा के प्रयोजन के लिए वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के उपबंध निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी हुए समझे जाएंगे, अर्थात्: —

धारा 65 में,-

(i) खंड (13) में, निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए गए थे, अर्थात्:—

'(13) "प्रसारण" का वही अर्थ है जो प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 2 के खंड (ग) में है और इसके अंतर्गत रेडियो या टेलीविजन चैनल पर कार्यक्रम का चयन, समयबद्ध करना या दृश्य श्रव्य विषय का प्रस्तुतीकरण है, जो जनता द्वारा, यथास्थिति, सुने या देखे जाने के लिए आशयित है; और ऐसे किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत से बाहर किसी स्थान पर अवस्थित है, उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से भारत में इसके शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या भारत में नियुक्त किसी अभिकर्ता द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो उसकी ओर से कार्य करता है, किसी रीति में समय काल का विक्रय करने या किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या प्रसारण प्रभारों के संग्रहण के क्रियाकलाप को प्रसारण समझा जाएगा; 1990 का 25

(13क) "प्रसारण अभिकरण या संगठन" से ऐसा कोई संगठन या अभिकरण अभिप्रेत है जो किसी रीति में प्रसारण से संबंधित सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और ऐसे किसी प्रसारण अभिकरण की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत से बाहर किसी स्थान में स्थित है, इसके अंतर्गत भारत में उसका कोई शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या किसी रीति में उसकी ओर से कार्य करने के लिए, भारत में नियुक्त कोई अभिकर्ता या ऐसा व्यक्ति भी है, जो उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समय-काल का विक्रय करने या ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या प्रसारण प्रभारों को संगृहीत करने के क्रियाकलाप में लगा हुआ है।';

(ii) खंड (72) के उपखंड (यट) में, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया गया था, अर्थात्:—

"(यट) किसी ग्राहक को, किसी रीति में प्रसारण के संबंध में किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन द्वारा और किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत के बाहर किसी स्थान पर अवस्थित है इसके अंतर्गत भारत में

इसके शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या भारत में नियुक्त कोई अभिकर्ता या ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जो उसकी ओर से किसी रीति में, किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समय काल का विक्रय करने या कार्यक्रम के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से प्रसारण प्रभारों के संग्रहण के क्रियाकलाप में लगा हुआ है।

स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जब तक रेडियो या टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण भारत में प्राप्त किए जाते हैं जो जनता द्वारा यथास्थिति, सुने या देखे जाने के लिए आशयित हैं, ऐसी सेवा प्रसारण के संबंध में कराधेय सेवा होगी चाहे उपग्रह के माध्यम से सिगनलों का पारेषण या बीमींग भारत के बाहर किसी स्थान पर हुआ हो ।";

(2) 16 जुलाई, 2001 से ही आरंभ होने वाली और उस दिन को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान जिसको वित्त विधेयक, 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किसी समय इस अध्याय के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात या लोप के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार विधिमान्य रूप से तथा प्रभावी रूप से की गई है और सदैव की गई है, मानो उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रही हो और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी ऐसे सभी सेवा-कर की वसूली, वित्त विधेयक, 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी जो संगृहीत नहीं किया गया किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत किया गया होता मानो उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रही हो और इस प्रकार वसूलनीय ऐसे सेवा-कर के असंदाय की दशा में तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् की तारीख से संदाय की तारीख तक पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण--शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो तब इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं होती ।

142. वित्त अधिनियम, 1994 में, उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे,— 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

(क) धारा 65 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"65. (1) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

1938 का 4 (1) "बीमांकक" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (1) में है;

(2) "विज्ञापन" के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर, दस्तावेज, होर्डिंग या प्रकाश, ध्वनि, धुएं या गैस के माध्यम से किया गया कोई अन्य श्रव्य या दृश्यरूपण है;

(3) "विज्ञापन अभिकरण" से विज्ञापन बनाने, तैयार करने, संप्रदर्शन या प्रदर्शन से संबंधित कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विज्ञापन परामर्शी भी है;

(4) "वायुमार्ग यात्रा अभिकर्ता" से वायुमार्ग द्वारा यात्रा के लिए यात्रा बुक करने के संबंध में कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

1962 का 52 (5) "अपील अधिकरण" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के अधीन गठित सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

1972 का 20 (6) "वास्तुविद्" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम, तत्समय, वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 23 के अधीन रखे गए वास्तुविदों के रजिस्टर में दर्ज है और इसके अंतर्गत किसी भी रीति से स्थापत्य कला के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ कोई वाणिज्यिक समुत्थान भी है;

(7) "निर्धारिती" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सेवाकर का संदाय करने के लिए दायी है और इसके अंतर्गत उसका अभिकर्ता भी है;

(8) "प्राधिकृत सर्विस स्टेशन" से किसी मोटर यान विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी मोटरकार या दुपहिया मोटर यान की कोई सर्विस या मरम्मत करने के लिए उस मोटर यान विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कोई सर्विस स्टेशन या केन्द्र अभिप्रेत है;

1949 का 10 (9) "बैंककारी" का वही अर्थ है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ख) में है;

1934 का 2 (10) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क के खंड (क) में है;

(11) "बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं" से किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी या कोई अन्य निगमित निकाय भी है, द्वारा प्रदान की गई निम्नलिखित सेवाएं हैं, अर्थात् :—

(i) वित्तीय पट्टा सेवाएं, जिसके अंतर्गत किसी निगमित निकाय द्वारा उपस्कर पट्टे पर देना और अवक्रय करना है;

(ii) क्रेडिट कार्ड सेवाएं ;

(iii) मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं ;

(iv) प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा (फौरेक्स) दलाली ;

(v) आस्ति प्रबंधन, जिसके अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रबंधन, सभी प्रकार के निधि प्रबंधन, पेंशन निधि प्रबंधन, अभिरक्षा संबंधी, निक्षेपागार और न्यास सेवाएं भी हैं किन्तु इसके अंतर्गत रोकड़ प्रबंधन नहीं है;

(vi) सलाहकार और अन्य सहायक वित्तीय सेवाएं, जिसके अंतर्गत विनिधान और पोर्टफोलियो अनुसंधान और सलाह, समामेलन और अर्जन पर सलाह तथा निगमित पुनःसंरचना और युक्ति पर सलाह है; और

(vii) सूचना और डाटा प्रसंस्करण का उपबंध और अंतरण;

1963 का 54 (12) "बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड अभिप्रेत है;

1956 का 1 (13) "निगमित निकाय" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (7) में है;

1990 का 25 (14) "प्रसारण" का वही अर्थ है जो प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 2 के खंड (ग) में है और इसके अंतर्गत रेडियो या टेलीविजन चैनल पर कार्यक्रम का चयन, समयबद्ध करना या दृश्य श्रव्य विषय का प्रस्तुतीकरण है, जो जनता द्वारा, यथास्थिति, सुने या देखे जाने के लिए आशयित है; और ऐसे किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत से बाहर किसी स्थान पर अवस्थित है, उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से भारत में इसके शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या भारत में नियुक्त किसी अभिकर्ता द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो उसकी ओर से कार्य करता है, किसी रीति में समय काल का विक्रय करने या किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या प्रसारण प्रभारों के संग्रहण के क्रियाकलाप को प्रसारण समझा जाएगा;

(15) "प्रसारण अभिकरण या संगठन" से ऐसा कोई संगठन या अभिकरण अभिप्रेत है जो किसी रीति में प्रसारण से संबंधित सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और ऐसे किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत से बाहर किसी स्थान में स्थित है, इसके अंतर्गत भारत में उसका कोई शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या किसी रीति में उसकी ओर से कार्य करने के लिए, भारत में नियुक्त कोई अभिकर्ता या ऐसा व्यक्ति भी है, जो उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समय-काल का विक्रय करने या ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या प्रसारण प्रभारों को संगृहीत करने के क्रियाकलाप में लगा हुआ है;

(16) "सौन्दर्य उपचार" से मुख और सौन्दर्य उपचार, प्रसाधन उपचार, नख प्रसाधन, नख श्रृंगार और सौन्दर्य, चेहरे की देखभाल और बनाव-श्रृंगार के संबंध में सलाहकारी सेवाएं अभिप्रेत हैं ;

(17) "सौन्दर्य पार्लर" से ऐसा कोई स्थापन अभिप्रेत है जो सौन्दर्य उपचार सेवाएं प्रदान कर रहा है;

(18) "कैब" से मोटर कैब या मैक्सी कैब अभिप्रेत है;

(19) "केबल आपरेटर" का वही अर्थ है जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (क) में है; 1995 का 7

(20) "केबल सेवा" का वही अर्थ है जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (ख) में है; 1995 का 7

(21) "माल संभलाई सेवा" से जहाजी माल की लदाई, उतराई, पेकिंग या गैर पैकिंग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विशेष कंटेनरों में या गैर कंटेनरकृत माल भाड़े पर प्रदान की गई जहाजी माल संभलाई सेवा, सभी प्रकार के परिवहन के लिए कंटेनर सेवाओं और अन्य माल भाड़ा टर्मिनल सुविधाएं और माल भाड़े से आनुषंगी जहाजी माल संभलाई सेवाएं हैं किन्तु इसके अंतर्गत निर्याती जहाजी माल या यात्री सामान की संभलाई या माल का मात्र परिवहन नहीं है;

(22) "खान-पान प्रबंधक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी प्रयोजन या अवसर के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी खाद्य, खाद्य निर्मितियों, एल्कोहाली या गैर-एल्कोहाली पेयों या क्राकरी और समरूप वस्तुओं या साज-सज्जाओं का प्रदाय करता है;

(23) "समाशोधन और अग्रेषण अभिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को किसी रीति से समाशोधन और अग्रेषण संक्रियाओं से संबंधित कोई सेवा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत पारेषण अभिकर्ता है;

(24) "कंप्यूटर नेटवर्क" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में है; 2000 का 21

(25) "परामर्शी इंजीनियर" से कोई ऐसा वृत्तिक रूप से अर्हित इंजीनियर या इंजीनियरी फर्म अभिप्रेत है, जो इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करती है;

(26) "कन्वेंशन" से एक औपचारिक बैठक या सभा अभिप्रेत है, जो साधारण जनता के लिए खुली नहीं है, किन्तु जिसके अंतर्गत ऐसी बैठक या सभा नहीं है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी प्रकार का आमोद-प्रमोद, मनोरंजन या मनबहलाव करना है;

(27) "कुरियर अभिकरण" से, ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो समयसुग्राही दस्तावेजों, माल या वस्तुओं को ले जाने के लिए या उनके साथ जाने के लिए, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करते हुए ऐसी दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार से द्वार परिवहन में लगा हुआ है;

(28) 'प्रत्ययमापी अभिकरण" से ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो किसी ऋण बाध्यता या वित्त की अपेक्षा करने वाले किसी परियोजना या कार्यक्रम की, चाहे ऋण के रूप में हो या अन्यथा, प्रत्ययमापी के कारबार में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत किसी वित्तीय बाध्यता, लिखत या प्रतिभूति की, जिसका प्रयोजन किसी संभावी विनिधानकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ब्याज या मूलधन के समय पर संदाय संबंधी सुरक्षा से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध कराना है, प्रत्ययमापी भी है;

(29) "सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 146 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन अस्थायी रूप से या अन्यथा अनुज्ञप्त है; 1962 का 52

(30) "डाटा" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ण) में है; 2000 का 21

(31) "निर्जल धुलाई" के अंतर्गत परिधान, कपड़े या अन्य वस्त्र, फर या चमड़े की वस्तुओं की निर्जल धुलाई है;

(32) "निर्जल धुलाईकर्ता" से निर्जल धुलाई संबंधी सेवा प्रदान करने वाला कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है;

(33) "इलेक्ट्रानिक अभिलेख" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (द) में है; 2000 का 21

(34) "वृत्तांत प्रबंधन" से किसी कला, मनोरंजन, कारबार, खेलकूद या किसी अन्य घटना की योजना बनाने, उसके संवर्धन, आयोजन या प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्रदान की गई कोई सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस संबंध में किया गया कोई परामर्श भी है;

(35) "वृत्तांत प्रबंधक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी रीति में वृत्तांत प्रबंध के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है;

(36) "अनुकृति (फैक्स)" से, दूर संचार का वह रूप अभिप्रेत है जिसके द्वारा स्थिर ग्राफिक आकृतियों जैसे मुद्रित पाठ और तस्वीरें स्कैन की जाती हैं और सूचना को दूर संचार प्रणाली पर पारेषण के लिए विद्युत संकेतों में संपरिवर्तित किया जाता है;

(37) "फैशन डिजाइनिंग" में मानवों द्वारा पहने जाने के लिए आशयित वेशभूषा, परिधान, कपड़ों, सहायक वस्त्र, आभूषण या कोई अन्य वस्तुओं के लिए डिजाइनिंग की परिकल्पना करने, रूपरेखा तैयार करने और सृजन करने तथा पैटर्न तैयार करने से संबंधित कोई क्रियाकलाप है और उससे अनुषंगी कोई अन्य सेवा भी है;

(38) "फैशन डिजाइनर " से फैशन डिजाइनिंग से संबंधित सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(39) "वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (ग) में है; 1934 का 2

(40) "साधारण बीमा कारबार " का वही अर्थ है जो साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के खंड (छ) में है; 1972 का 57

(41) "माल" का वही अर्थ है जो माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 2 के खंड (7) में है; 1930 का 3

(42) "स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता सेवा" से सोना और भाप स्नान, तुर्की स्नान, सौर-चिकित्सा, गृह स्पास, वजन कम करने या छरहरा बनाने वाले सैलून, व्यायामशाला, योग, मनन, मालिश (चिकित्सीय मालिश को छोड़कर) जैसी शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने की सेवा या कोई अन्य उसी प्रकार की सेवा अभिप्रेत है;

(43) "हेल्थ क्लब और फिटनेस सेंटर " से ऐसा कोई स्थापन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा होटल या आश्रयगृह भी है, जो स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता सेवा प्रदान कर रहा है;

2000 का 21 (44) "सूचना" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (v) में है;

1938 का 4 (45) "बीमा अभिकर्ता" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (10) में है;

(46) "बीमा सहायक सेवा" से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है जो किसी बीमांकक, मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या किसी बीमा अभिकर्ता द्वारा साधारण बीमा कारबार के संबंध में उपलब्ध कराई जाती है और इसके अंतर्गत जोखिम निर्धारण, दावा निपटारा, सर्वेक्षण और हानि निर्धारण है;

1999 का 41 (47) "मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती" का वही अर्थ है जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (1) के उपखंड (च) में है;

(48) "बीमाकर्ता" से भारत में साधारण बीमा कारबार करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(49) "आंतरिक साज-सज्जक" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सलाह, परामर्श, तकनीकी सहायता के रूप में या किसी अन्य रीति से, स्थानों की योजना, डिजाइन बनाने या उन्हें सजाने, चाहे मानव निर्मित हो या अन्यथा, से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के कारबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है और इसके अंतर्गत परिदृश्य डिजाइनर भी है;

(50) "पट्टाधृत परिपथ" से अभिदाता के अनन्य उपयोग के लिए नियत दो अवस्थानों के बीच उपलब्ध कराया गया कोई समर्पित योजक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वाक् परिपथ, डाटा परिपथ या तार परिपथ भी है;

1938 का 4 (51) "जीवन बीमा कारबार" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (11) में है;

(52) "चुंबकीय भंडारण युक्ति" के अंतर्गत मोम के ब्लैंक, डिस्क या ब्लैंक, मूल ध्वन्यंकन के प्रयोजन के लिए पट्टियां या फिल्म हैं ;

(53) "प्रबंध परामर्शी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी संगठन के प्रबंध के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रीति से, कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है, जो किसी संगठन की किसी कार्य प्रणाली की संकल्पना, अभिकल्पना, विकास, उपांतरण, परिष्करण या उन्नयन से संबंधित कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करता है;

1882 का 4 (54) "मंडप" से संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई स्थावर संपत्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वहां का कोई ऐसा फर्नीचर, फिक्सचर, प्रकाश फिटिंग और उसमें की फर्श की बिछायतें हैं, जो किसी आधिकारिक, सामाजिक या कारबार संबंधी समारोह आयोजित करने के लिए प्रतिफल के लिए भाड़े पर दी जाती हैं ;

(55) "मंडप चलाने वाला" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी आधिकारिक, सामाजिक या कारबार संबंधी समारोह आयोजित करने के लिए प्रतिफल के लिए किसी मंडप के अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञा देता है;

(56) "जनशक्ति भर्ती अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो किसी कक्षीकार को जनशक्ति की भर्ती के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी रीति से कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है;

(57) "बाजार अनुसंधान अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो किसी उत्पाद, सेवा या उपयोगिता, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की ग्राहक-अपेक्षित और व्यावसायिक रूप से संघटित अनुसंधान सेवाएं हैं, के संबंध में किसी भी रीति से बाजार अनुसंधान कराने में लगा हुआ है;

1988 का 59 (58) "मैक्सी कैब" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (22) में है;

1988 का 59 (59) "मोटर कैब" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (25) में है;

1934 का 2 (60) "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (च) में है;

(61) "ऑन-लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या पुनःवापसी" से अभिप्रेत है, किसी ग्राहक को किसी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रानिक अभिलेख में पुनःवापस किए जाने योग्य या अन्यथा डाटा या सूचना उपलब्ध कराना ;

(62) "पेजर" से ऐसा उपकरण, यंत्र या साधित्र अभिप्रेत है जो वाणी रहित सूचना-संकेत के साथ एक-तरफा व्यक्तिगत संबोधन पद्धति है और जिसमें संख्यात्मक या वर्ण-संख्यात्मक संदेश प्राप्त करने, संग्रह करने और संप्रदर्शित करने की सामर्थ्य है;

(63) "फोटोग्राफी" के अंतर्गत स्थिर फोटोग्राफी, चलचित्र फोटोग्राफी, लेजर फोटोग्राफी, हवाई फोटोग्राफी और प्रतिदीप्ति फोटोग्राफी है;

(64) "फोटोग्राफी स्टूडियो या अभिकरण" से कोई वृत्तिक फोटोग्राफर या ऐसा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो फोटोग्राफी से संबंधित सेवा देने के कारबार में लगा है;

1938 का 4 (65) "पालिसी धारक" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (2) में है;

1963 का 38 (66) "पत्तन" का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (थ) में है;

(67) "पत्तन सेवा" से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है जो किसी जलयान या माल के संबंध में किसी रीति से किसी पत्तन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती है;

(68) "व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट संस्थान का सदस्य है
1949 का 38 और चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो चार्टरित लेखा-कर्म के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है;

(69) "व्यवसायरत लागत लेखापाल" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान का
1959 का 23 सदस्य है और लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो लागत लेखाकर्म के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है;

(70) "व्यवसायरत कंपनी सचिव" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य है और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो कंपनी सचिव के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है; 1980 का 56

(71) "विहित" से इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(72) "रेलयात्रा अभिकर्ता " से रेल द्वारा यात्रा के लिए मार्ग की बुकिंग करने से संबंधित कोई सेवा प्रदान करने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(73) "स्थावर संपदा अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्थावर संपदा के विक्रय, क्रय, पट्टे या किराए पर देने के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत स्थावर संपदा परामर्शी भी है;

(74) "स्थावर संपदा परामर्शी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्थावर संपदा के मूल्यांकन, संकल्पना, डिजाइन, विकास, सन्निर्माण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुरक्षण, विपणन, अर्जन या प्रबंध के संबंध में किसी रीति से सलाह, परामर्शी या तकनीकी सहायता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान करता है;

(75) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में है; 1956 का 42

(76) "कैब भाड़े पर देने की स्कीम आपरेटर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कैबों को भाड़े पर देने के कारबार में लगा हुआ है;

(77) "वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्शी" से किसी वैज्ञानिक या किसी तकनीक-तंत्री या किसी विज्ञान या प्रौद्योगिकी संस्था या संगठन द्वारा किसी कक्षीकार को विज्ञान या प्रौद्योगिकी की एक या अधिक शाखाओं में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी रीति से, दी गई कोई सलाह, परामर्शी या वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता अभिप्रेत है;

(78) "प्रतिभूति" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है; 1956 का 42

(79) "सुरक्षा अभिकरण" से ऐसा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो किसी संपत्ति की चाहे जंगम या स्थावर हो या किसी व्यक्ति की किसी रीति से सुरक्षा से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के कारबार में लगा है और इसके अंतर्गत सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने की सेवाओं सहित किसी तथ्य या क्रियाकलाप के, चाहे वह वैयक्तिक प्रकृति का हो या अन्यथा, अन्वेषण, पता लगाने या सत्यापन की सेवाएं भी हैं;

(80) "सेवा-कर" से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है;

(81) "पोत" से समुद्रगामी जलयान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत चलत जलयान भी है;

(82) "पोत परिवहन लाइन" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी पोत का स्वामी है या उसे चार्टर करता है और इसके अंतर्गत ऐसा उद्यम भी है, जो पोत-परिवहन के कारबार का प्रचालन करता है या उसका प्रबंध करता है;

(83) "ध्वन्यंकन" से चुंबकीय भंडारण युक्ति पर ध्वनि का अंकन अभिप्रेत है और उसमें किसी रीति से उसका संपादन सम्मिलित है;

(84) "ध्वन्यंकन स्टुडियो या अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो ध्वन्यंकन से संबंधित कोई सेवा देने के कारबार में लगा हुआ है;

(85) "स्टीमर अभिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,--

(क) पोत के प्रबंध या प्रस्थान के संबंध में किसी सेवा के निष्पादन, जिसके अंतर्गत उससे संबंधित प्रशासनिक कार्य प्रदान करना भी है; या

(ख) किसी पोत परिवहन लाइन के लिए या उसकी ओर से स्थोरा बुक करने, उसे विज्ञापित करने या उसका प्रचार करने ; या

(ग) पोत परिवहन लाइन के लिए या उसकी ओर से आधान सहायक पोषक सेवाएं उपलब्ध कराने,

का कार्य करता है;

(86) "शेयर दलाल" से कोई ऐसा शेयर दलाल अभिप्रेत है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार शेयर दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या वह उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है; 1992 का 15

(87) "भंडारकरण और भांडागारण" के अंतर्गत ऐसे माल के लिए भंडारण और भांडागारण की सेवाएं हैं जिसमें द्रव्य और गैस सम्मिलित है किंतु इसके अंतर्गत कृषि उपज के भंडारण के लिए प्रदान की गई कोई सेवा या शीत भंडारण के लिए प्रदान की गई कोई सेवा नहीं है;

(88) "उप दलाल" से कोई ऐसा उप दलाल अभिप्रेत है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार उप दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या वह उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है; 1992 का 15

(89) "अभिदाता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको तार प्राधिकारी द्वारा टेलीफोन कनेक्शन या अनुकृति या पट्टाधृत परिपथ या पेजर या तार या टेलेक्स की कोई सेवा उपलब्ध कराई गई है;

(90) "कराधेय सेवा" से कोई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो निम्नलिखित को उपलब्ध कराई जाती है :--

(क) किसी विनिधानकर्ता को, मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय के संबंध में, किसी शेयर दलाल द्वारा;

(ख) किसी अभिदाता को, किसी टेलीफोन कनेक्शन के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा;

(ग) किसी अभिदाता को, किसी पेजर के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा;

(घ) किसी पालिसीधारक को, साधारण बीमा कारबार के संबंध में, साधारण बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता द्वारा;

(ङ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, विज्ञापनों के संबंध में, किसी विज्ञापन अभिकरण द्वारा;

(च) किसी ग्राहक को, समय-सुग्राही दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार से द्वार परिवहन के संबंध में किसी कुरियर अभिकरण द्वारा;

(छ) किसी कक्षीकार को, इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में किसी रीति से सलाह, परामर्शी या तकनीकी सहायता के संबंध में किसी परामर्शी इंजीनियर द्वारा;

(ज) किसी कक्षीकार को, वाहनों के प्रवेश या प्रस्थान अथवा माल के आयात या निर्यात के संबंध में किसी सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता द्वारा;

(झ) किसी पोत परिवहन लाइन को, पोत के प्रबंध या प्रस्थान या उससे संबंधित किसी प्रशासनिक कार्य तथा आधान सहायक सेवा सहित स्थोरा बुक करने, उसे विज्ञापित या उसके लिए प्रचार करने के संबंध में किसी स्टीमर अभिकर्ता द्वारा;

(ञ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, समाशोधन और अग्रेषण संक्रियाओं के संबंध में किसी समाशोधन और अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा;

(ट) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, जनशक्ति की भर्ती के संबंध में किसी जनशक्ति भर्ती अभिकरण द्वारा;

(ठ) किसी ग्राहक को, वायु मार्ग द्वारा यात्रा के लिए यात्रा बुक करने के संबंध में, किसी वायु मार्ग यात्रा अभिकर्ता द्वारा;

(ड) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी मंडप के उपयोग के संबंध में मंडप लगाने वाले द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे उपयोग और खान-पान प्रबंधक के रूप में की गई सेवाओं, यदि कोई हों, के संबंध में किसी ग्राहक को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं भी हैं ;

(ढ) किसी व्यक्ति को, किसी पर्यटन के संबंध में किसी पर्यटन आपरेटर द्वारा;

(ण) किसी व्यक्ति को, कैब को भाड़े पर देने के संबंध में किसी कैब को भाड़े पर देने की स्कीम के आपरेटर द्वारा;

(त) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी वास्तुविद् द्वारा;

(थ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, स्थानों की योजना, डिजाइन बनाने या सजाने, चाहे मानवनिर्मित हों या अन्यथा, के संबंध में किसी आंतरिक साज-सज्जक द्वारा;

(द) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी संगठन के प्रबंध के संबंध में किसी प्रबंध परामर्शी द्वारा;

(ध) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी रीति से, किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा;

(न) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी रीति से, किसी व्यवसायरत लागत लेखापाल द्वारा;

(प) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी रीति से, किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा;

(फ) किसी कक्षीकार को, किसी स्थावर संपदा के संबंध में किसी स्थावर संपदा अभिकर्ता द्वारा;

(ब) किसी कक्षीकार को, किसी संपत्ति या व्यक्ति की सुरक्षा के संबंध में सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराके या अन्यथा किसी सुरक्षा अभिकरण द्वारा और इसके अंतर्गत किसी तथ्य या क्रियाकलाप के अन्वेषण, पता लगाने या सत्यापन की सेवाओं का उपलब्ध कराया जाना भी है;

(भ) किसी कक्षीकार को, किसी वित्तीय बाध्यता, लिखत या प्रतिभूति की प्रत्ययमापी के संबंध में किसी प्रत्ययमापी अभिकरण द्वारा;

(म) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी उत्पाद, सेवा या उपयोगिता के लिए बाजार अनुसंधान के संबंध में किसी बाजार अनुसंधान अभिकरण द्वारा;

(य) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से हामीदारी के संबंध में किसी हामीदार द्वारा;

(यक) किसी कक्षीकार को, वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्श के संबंध में किसी वैज्ञानिक या किसी तकनीक-तंत्री या किसी विज्ञान या प्रौद्यौगिकी संस्था या संगठन द्वारा;

(यख) किसी ग्राहक को, फोटोग्राफी से संबंधित किसी रीति से, किसी फोटोग्राफी स्टूडियो या अभिकरण द्वारा;

(यग) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से कन्वेंशन आयोजित कराने के संबंध में किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा;

(यघ) किसी अभिदाता को, पट्टे पर दिए गए परिपथ के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा;

(यङ) किसी अभिदाता को, तार के माध्यम से संसूचना के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा;

(यच) किसी अभिदाता को, टैलेक्स के माध्यम से संसूचना के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा;

(यछ) किसी अभिदाता को, प्रतिरूप संसूचना के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा;

(यज) किसी ग्राहक को, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलैक्ट्रानिक अभिलेख में किसी रीति से ऑन लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या पुनःप्राप्ति, या दोनों के संबंध में किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा;

(यझ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, वीडियो टेप निर्माण के संबंध में किसी वीडियो निर्माण अभिकरण द्वारा;

(यञ) किसी कक्षीकार को, किसी भी प्रकार के ध्वन्यंकन के संबंध में किसी ध्वन्यंकन स्टूडियो या कंपनी द्वारा;

(यट) किसी ग्राहक को, किसी रीति में प्रसारण के संबंध में किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन द्वारा और किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत के बाहर किसी स्थान पर अवस्थित है इसके अंतर्गत भारत में इसके शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या भारत में नियुक्त कोई अभिकर्ता या ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जो उसकी ओर से किसी रीति में, किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समय काल का विक्रय करने या कार्यक्रम के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से प्रसारण प्रभारों के संग्रहण के क्रियाकलाप में लगा हुआ है।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जब तक रेडियो या टेलीविजन प्रसारण भारत में ग्रहण किए जाते हैं और साधारण जनता के द्वारा देखे जाने या सुने जाने के लिए आशयित हैं ऐसी सेवा प्रसारण के संबंध में कराधेय सेवा होगी चाहे सिगनलों का पारेषण या बीमींग उपग्रह के माध्यम से भारत के बाहर किसी स्थान पर हुआ हो;

(यठ) किसी पालिसी धारक या बीमाकर्ता को, साधारण बीमा कारबार से संबंधित बीमा सहायक सेवा के संबंध में किसी बीमांकक या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या बीमा अभिकर्ता द्वारा;

(यड) किसी ग्राहक को, बैंककारी कंपनी या अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था द्वारा, जिसके अंतर्गत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है;

(यढ) किसी व्यक्ति को किसी रीति से पत्तन सेवाओं के संबंध में किसी पत्तन या पत्तन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा;

(यण) किसी ग्राहक को, किसी मोटर कार या दुपहिया मोटर यानों की किसी सेवा या मरम्मत के संबंध में किसी रीति से, किसी प्राधिकृत सेवा स्टेशन द्वारा,

(यत) किसी ग्राहक को बैंककारी कंपनी और अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में उपखंड (यद) में निर्दिष्ट निगमित निकाय से भिन्न किसी निगमित निकाय द्वारा;

(यथ) किसी ग्राहक को, सौन्दर्य उपचार के संबंध में किसी ब्यूटी पार्लर द्वारा;

(यद) किसी व्यक्ति को माल की संभलाई के संबंध में किसी जहाजी माल संभलाई अभिकरण द्वारा;

(यध) किसी अभिदाता को, केबल सेवाओं के संबंध में केबल आपरेटर द्वारा;

(यन) किसी ग्राहक को, निर्जल धुलाई के संबंध में निर्जल धुलाईकर्ताओं द्वारा;

(यप) किसी कक्षीकार को वृत्तांत प्रबंधन के सबंध में वृत्तांत प्रबंधक द्वारा;

(यफ) किसी व्यक्ति को फैशन डिजाइनिंग के संबंध में फैशन डिजाइनर द्वारा;

(यब) किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता सेवाओं के संबंध में हेल्थ क्लब और शारीरिक योग्यता केन्द्र द्वारा;

(यभ) किसी पालिसीधारक को जीवन बीमा कारबार के संबंध में जीवन बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ता द्वारा;

(यम) किसी पालिसीधारक या बीमाकर्ता को जीवन बीमा कारबार से संबंधित बीमा सहायक सेवाओं के संबंध में किसी बीमांकक या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या बीमा अभिकर्ता द्वारा;

(यय) किसी ग्राहक को, रेल द्वारा यात्रा के लिए मार्ग की बुकिंग करने के संबंध में रेल यात्रा अभिकर्ता द्वारा;

(ययक) किसी व्यक्ति को माल के भंडारकरण और भांडागारण के संबंध में भंडार या भांडागार रक्षक द्वारा,

और "सेवा प्रदाता" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(91) "तार" का वही अर्थ है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के खंड (1) में है; 1885 का 13

(92) "तार प्राधिकारी" का वही अर्थ है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के खंड (6) में है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसे उस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है; 1885 का 13

(93) "टैलेक्स" से टैलेक्स एक्सचेंजों के माध्यम से टेलीप्रींटर का उपयोग करके टाईप की गई संसूचना अभिप्रेत है;

(94) "पर्यटन" से एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा अभिप्रेत है चाहे ऐसे स्थानों के बीच की दूरी कुछ भी हो ;

(95) "पर्यटक यान" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (43) में है; 1988 का 59

(96) "पर्यटक आपरेटर" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले किसी पर्यटक यान में पर्यटन कराने के कारबार में लगा हुआ है; 1988 का 59

(97) "हामीदार" का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) नियम, 1993 के नियम 2 के खंड (च) में है;

(98) "हामीदारी" का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) नियम, 1993 के नियम 2 के खंड (छ) में है;

(99) "जलयान" का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (य) में है; 1963 का 38

(100) "वीडियो निर्माण अभिकरण" से कोई वृत्तिक वीडियोग्राफर या कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो वीडियोटेप निर्माण से संबंधित सेवा प्रदान करने के कारबार में लगा हुआ है;

(101) "वीडियो टेप निर्माण" से किसी चुंबकीय टेप पर किसी कार्यक्रम, घटना या समारोह के किसी अंकन की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(102) वे शब्द और पद, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, जहां तक हो सके, सेवा-कर के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उत्पाद-शुल्क के संबंध में लागू होते हैं ;"; 1944 का 1

(ख) धारा 66 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

सेवा-कर का प्रभार।

"66. (1) इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से ही, धारा 65 के खंड (90) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (घ) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेवा-कर कहा गया है) उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा ।

(2) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 की धारा 85 के अधीन अधिसूचित तारीख से, धारा 65 के खंड (90) के उपखंड (ग), उपखंड (ङ) और उपखंड (च) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से सेवा-कर उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा । 1996 का 33

(3) वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 88 के अधीन अधिसूचित तारीख से, धारा 65 के खंड (90) के उपखंड (छ),उपखंड (ज), उपखंड (झ), उपखंड (ञ), उपखंड (ट), उपखंड (ठ), उपखंड (ड), उपखंड (ढ) और उपखंड (ण) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से सेवा-कर उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा । 1997 का 26

(4) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की धारा 116 के अधीन अधिसूचित तारीख से, धारा 65 के खंड (90) के उपखंड (त), उपखंड (थ), उपखंड (द), उपखंड (ध), उपखंड (न), उपखंड (प), उपखंड (फ), उपखंड (ब), उपखंड (भ), उपखंड (म) और उपखंड (य) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से सेवा-कर उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा । 1998 का 21

(5) वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 130 के अधीन अधिसूचित तारीख से, धारा 65 के खंड (90) के उपखंड (यक), (यख), (यग), (यघ), (यङ), (यच), (यछ), (यज), (यझ), (यञ), (यट), (यठ), (यड), (यढ) और (यण) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर पर सेवा-कर उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा।"। 2001 का 14

(6) वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 141 के अधीन अधिसूचित तारीख से धारा 65 के खंड (90) के उपखंड (यत), (यथ) (यद), (यध), (यण), (यप), (यफ), (यब), (यभ), (यम), (यय) और (ययक) में निर्दिष्ट कराधेय सेवा के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से सेवा-कर उद्गृहीत और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा ।";

(ग) धारा 67 के स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (ङ) में "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (च) में, "ऐसे विनिर्माता से" शब्दों के स्थान पर "ऐसे विनिर्माता से; और" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(छ) रेल या ग्राहक से रेलयात्रा अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कमीशन या कोई रकम ;";

(iv) "(ख) सेवा प्रदान करने से" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "लागत; और" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग में 'और' शब्द का लोप किया जाएगा;

(v) " (ग) सेवा प्रदान करने से" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "दुपहिए मोटर यानों" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की बाबत वायुयान यात्रा अभिकर्ता द्वारा संगृहीत वायुयान भाड़ा; और

(ङ) उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की बाबत रेल यात्रा अभिकर्ता द्वारा संगृहीत रेल भाड़ा।"।

(घ) धारा 73 में,—

(क) धारा 73 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) में,-

(i) खंड (क) और खंड (ख) में, उनके अंत में आने वाले "कम निर्धारण किया गया है" शब्दों के स्थान पर " कम निर्धारण किया गया है या सेवा-कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "वह, यदि" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "कराधेय सेवा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वह, यदि खंड (क) के अंतर्गत आता है, उस सुसंगत तारीख से जिसको सेवा-कर से कराधेय व्यक्ति पर सूचना की तामील की जाती है जो निर्धारण से बच गया है या कम निर्धारण हुआ है या कर संदत्त नहीं किया है या कर कम संदत्त किया है या जिसको कोई राशि भूल से प्रतिदाय कर दी गई है, पांच वर्ष के भीतर किसी समय, और यदि खंड (ख) के अंतर्गत आता है, एक वर्ष के भीतर किसी समय, एक हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय क्यों नहीं करना चाहिए । ";

(ख) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

'(2) यथस्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, अभ्यावेदन पर यदि कोई हो, जो उस व्यक्ति ने दिया हो जिस पर उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की गई है विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से, शोध्य सेवा-कर की राशि, जो (सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है) अवधारण करेगा और तदुपरि इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सुसंगत तारीख से" निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) कराधेय सेवा जिसकी बाबत सेवा-कर का निर्धारण रह गया है या निर्धारण कम हुआ है या कर संदत्त नहीं किया गया है या कर कम संदत्त किया गया है—

(क) जहां इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, नियतकालिक विवरणी उस अवधि के दौरान संदत्त सेवा-कर की विशिष्टियां दर्शित करते हुए जिसको उक्त विवरणी इस प्रकार फाइल की गई है;

(ख) जहां यथाउपर्युक्त कोई नियतकालिक विवरणी फाइल की गई है वहां वह अंतिम तारीख जिसको इन नियमों के अधीन विवरणी फाइल की जाती है;

(ग) किसी अन्य दशा में वह तारीख जिसको इस अध्याय या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सेवा-कर संदत्त किया जाना है;

(ii) उस दशा में जहां सेवा-कर इस अध्याय या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अनन्तिम रूप से निर्धारित किया जाता है , उसके अंतिम निर्धारण के पश्चात् सेवा-कर के समायोजन की तारीख;

(iii) उस दशा में जहां सेवा-कर से संबंधित कोई राशि भूल से प्रतिदाय कर दी जाती है, ऐसे प्रतिदाय की तारीख।';

(ङ) धारा 75 में, "चौबीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(च) धारा 78 के परंतुक में, "पच्चीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(छ) धारा 82 की उपधारा (1) में,—

(i) "कोई अन्य" शब्दों के स्थान पर, "कोई" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) "ऐसे दस्तावेजों या पुस्तकों या वस्तुओं की तलाशी करना या स्वयं तलाशी कर सकना" शब्दों के स्थान पर "ऐसे दस्तावेजों या पुस्तकों या वस्तुओं की तलाशी करना और अभिगृहीत करना या स्वयं तलाशी कर सकना या अभिगृहीत कर सकना" शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) धारा 83 में, "11खख" अंकों और अक्षरों के पश्चात् "11घ" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(झ) धारा 94 की उपधारा (2) में, खड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ङङ) कोई कराधेय सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपभोग की गई सेवा पर उस दशा में जहां सेवा उपभोग की जाती है और उपलब्ध कराई गई सेवा कराधेय सेवा की उसी कोटि में आती है, संदत्त सेवा-कर की जमा। ";

(ञ) खंड 95 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"95. (1) यदि, वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा इस अध्याय में सम्मिलित किसी कराधेय सेवा के मूल्य के कार्यान्वयन या निर्धारण में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकेगी जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हों: नई सेवाओं के कार्यान्वयन में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परंतु यह कि ऐसा कोई आदेश उस तारीख से जिसको इस अध्याय में कराधेय ऐसी सेवाओं को सम्मिलित करने वाले वित्त अधिनियम, 2002 के उपबंधों की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् प्रवृत्त नहीं होगा ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश बनाए जाने के तुरंत पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।"।